पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2022

अनवान :

अजय पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. दशरथ पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. सुशीला पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र पचार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 24/19 के खसरा सं0 104, 105, 106, 194, 195 कुल खसरा 5 की 28.5180है0 में प्रतिवादी सं0 1 दशरथ के नाम 4121/28518 हिस्सा दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 सुशीला ने वादी अजय व प्रतिवादी सं0 1 दशरथ के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः उक्त वर्णित वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दशरथ अकेले की बजाए वादी अजय और प्रतिवादी सं0 1 दशरथ को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner